"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2008—भाद्र 14, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दिनेश कुमार सोनकर आत्मज श्री अघोरी लाल सोनकर, उम्र 25 वर्ष, निवासी-ग्राम-करियाटार, पोस्ट-पुरगांव, थाना बिलाईगढ़, तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम (सरनेम) को परिवर्तित कर दिनेश कुमार चौहान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दिनेश कुमार चौहान आतमज श्री अघोरीलाल चौहान के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
दिनेश कुमार सोनकर आत्मज-श्री अघोरीलाल सोनकर निवासी-ग्राम करियाटार पोस्ट-पुरगांव तह.-बिलाईगढ़ जिला-रायपुर (छ. ग.).	दिनेश कुमार चौहान आत्मज-श्री अघोरीलाल चौहान निवासी-ग्राम करियाटार पोस्ट-पुरगांव तह.-बिलाईगढ़ जिला-रायपुर (छ. ग.).

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सैय्यद अहमद हसन आत्मज सैय्यद मुहम्मद मुजिबुद्दीन, उम्र 45 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 1 ए, सड़क 31, सेक्टर 8, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपनी पत्नी का नाम नामिनी के रूप में मुसव्विरा जहॉ दर्ज कराया है जो विवाह पूर्व का नाम है. विवाह के पश्चात् मेरी पत्नी का नाम परिवर्तित कर सैय्यद मुसव्विरा जहॉ रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को सैय्यद मुसव्विरा जहॉ पति सैय्यद अहमद हसन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
मुसव्विरा जहॉ
पति सैय्यद अहमद हसन
निवासी-क्वार्टर नं. 1 ए,
सड़क नं. 31, सेक्टर 8
भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
सैय्यद मुसव्विरा जहॉ
पति सैय्यद अहमद हसन
निवासी-क्वार्टर नं. 1 ए,
सड़क नं. 31, सेक्टर 8
भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती गीता पति श्री उदयशंकर प्रसाद, निवासी-क्वार्टर नं. 9 ए, सड़क नं. 29, सेक्टर 5 भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं . मैं अपनी नाम को परिवर्तित कर श्रीमती गीता देवी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती गीता देवी पति उदयशंकर प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
श्रीमती गीता
पति श्री उदयशंकर प्रसाद
निवासी-क्वार्टर नं. 9-ए
सड़क नं. 29, सेक्टर 5
भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
श्रीमती गीता देवी
पति श्री उदयशंकर प्रसाद
निवासी-क्वार्टर नं. 9-ए
सड़क नं. 29, सेक्टर 5
भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष कुमार आत्मज स्व. हजारीलाल देवांगन, निवासी-सड़क 15 बी, ब्लाक-1, क्वार्टर नं. ए, सेक्टर 2 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर संतोष कुमार देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संतोष कुमार देवांगन आत्मज स्व. हजारीलाल देवांगन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
संतोष कुमार
आत्मज स्व. हजारीलाल देवांगन
निवासी-सड़क नं. 15 बी, ब्लाक नं. 1,
क्वार्टर नं. A , सेक्टर 2 भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
संतोष कुमार देवांगन
आत्मज स्व. हजारीलाल देवांगन
निवासी-सड़क नं. 15 बी, ब्लाक नं. 1,
क्वार्टर नं. A , सेक्टर 2 भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, कोटा, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

कोटा, दिनांक 28 जुलाई 2008

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

रा: प्र. क्र./ब-113/2007-08.—चूंकि सचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी, रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छ. ग. ने रतनपुर पब्लिक ट्रस्ट को छ. ग पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 के तहत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिनों के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यतार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

दिनांक :-28-07-2008
स्थान :- कोटा, जिला बिलासपुर, छ. ग.

सुश्री तुलिका प्रजापति,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 13 अगस्त 2008

क्रमांक/मा. चि/4175.—सर्व साधारण को सूचित किया है कि निम्नानुसार पार्श्व में दर्शाया गया बीट हैमर परिसर दलधोवा परिक्षेत्र गेम रेंजर सेमरसोत अभ्यारण के लिए जारी किया गया था. गेम रेंजर सेमरसोत ने अपने पत्र क्र. 423 दिनांक 05-08-2008 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि श्री धनविराज तिर्की परिसर दलधोवा के द्वारा बीट भ्रमण द्वारा आकस्मिक रूप से मधुमक्खी के काटने एवं भागने के कारण बीट हैमर जिसका क्रमांक (↑ SG 743) गुम गया है.

परिक्षेत्राधिकारी के उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार हेमर के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत लेख किया है अत: वन वित्तीय नियम 124 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त बीट हैमर की वनमण्डल के स्टाक से अलग कर अपलेखित किया जाता है. उक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम थाने अथवा इस कार्यलय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार उक्त हैमर का अनाधिकृत तथा अवैधानिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दण्ड का भागी होगा.

उक्त हैमर की कीमत 100/- (सौ रु.) श्री धनविराज तिर्की परिसर दलघोवा से वेतन देयकों के वसूली आदेश जारी किया जाता है. हैमर गुमने के संबंध में चेतावनी दी जाती है. गुमशुदा हेमर का निशान (↑ SG 743)

सी. एल. अग्रवाल ,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक /परिसमापन/2008/1642.—विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित मोपका, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 109 दिनांक 26-4-2001 विगत वर्षो से अकार्यशील रहने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने तथा भविष्य में, कार्यशील होने की संभावनाएं नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्रीमति नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्रीमति नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सभी सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. वर्तमान में संस्था के पास कार्यशील पूंजी रु. 963.00 एवं सदस्य संख्या 35 है. प्रत्येक सदस्यों से प्रतिमाह रु. 200.00 अमानत लिया जाकर अंशपूंजी में वृद्धि कर व्यवसाय किये जाने का निर्णय गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्ययन से समिति को पुनर्जीविन करना सदस्यों के हित में है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1661.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1645/बिलासपुर, दिनांक 1-12-2006 के तहत प्राथमिक श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, खैरवार, पंजीयन क्रमांक 3412 दिनांक 22-10-91, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1662.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1415/बिलासपुर, दिनांक 21-4-2005 के तहत आदर्श चावल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कोदवा, पंजीयन क्रमांक 2663 दिनांक 17-10-83, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1674.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/2296/बिलासपुर, दिनांक 7-12-2007 के तहत आजाद कल्याण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, मसान गंज बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3622 दिनांक 24-2-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थायें, अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

अकलतरा, दिनांक 18 अगस्त 2008

क्रमांक/परिसमापक/08/क्यू 1.— छ. ग. सहकारी समितियां नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि नीचे लिखे सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में एवं प्रमाणक के साथ इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इन संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देंवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

समितियां

1. **कृषक सिंचाई प्रबंधन सह. समि. मर्या. नरियरा, पं. क्र. 197**

2. कृषक सिंचाई प्रबंधन सह. समि. मर्या. किरारी, पं. क्र. 241

3. कृषक सिंचाई प्रबंधन सह. समि. मर्या. मुरलीडीह, पं. क्र. 242

4. किसान गंगा स्वायत्त सह. समि. मर्या. अकलतरा, पं. क्र. 02

5. उत्खनन सहकारी समिति मर्या. अमलीपाली, पं. क्र. 182

6. प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. कटघरी, पं. क्र. 127

आर. के. कौशिक,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.